न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

(21)

प्रकरण क्रमांक 21/सी–145/धारा–40/2017–18 दिनांक 12.03.2018

मध्यप्रदेश शासन — आवेदक

व्दारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर — विरुध्द

1. श्रीमति कमलबाई गंभीर महाजन — अनावेदकगण
   तत्कालिन सरपंच
2. श्री सुभाष भिका प्रजापति
   तत्कालिन सचिव
3. श्री मनोज भटकरे
   ग्राम रोजगार सहायक
   ग्राम पंचायत फोपनारकला
4. श्री सुमेर सिंह सोंलकी
   उपयंत्री, जनपद पंचायत बुरहानपुर

(पारित आदेश दिनांक 31.07.2018)

प्रस्तुत प्रकरण शिकायकर्ता श्री शेख हमीद निवासी फोपनारकला व्दारा दिनांक 09.08.2015 को पशुशेड, मेड बंधान एवं तालाब निर्माण में की शिकायत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर व्दारा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर से जांच कराई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर व्दारा शिकायतकर्ता श्री शेख हमीद की शिकायत पर दिनांक 08.09.2017 को पत्र प्रेषित कर तत्कालिन सरंपच फोपनारकला श्रीमती कमलाबाई गंभीर महाजन, तत्कालिन सचिव श्री मनोज भटकरे, ग्राम रोजगार सहायक श्री मनोज भटकरे तथा उपयंत्री श्री सुमेर सिंह सोलंकी बुरहानपुर के विरुध्द म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रस्तुत वसूली प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की शिकायतकर्ता शेख हमीद व्दारा दिनांक 09.08.2015 को की गई शिकायत की जांच अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर से कराई गई। जिसमें राशि रुपये 115138/– का कार्य मजदुरो से न कराकर मशीनो से कराए जाने एवं श्री मनोज भटकरे व्दारा पृथक से 15900/– रुपये पशुशेड के जमा न करना पाया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर व्दारा श्री मनोज भटकरे से राशि रुपये 15900/– पृथक से एवं राशि रुपये 115138/– के विरुध्द श्रीमती कमलाबाई गंभीर महाजन सरपंच से राशि रुपये 28784/– श्री सुमेर सिंह सोंलकी उपयंत्री से राशि रुपये 28785/– श्री मनोज भटकरे ग्राम रोजगार सहायक से राशि रुपये 28785/– सुभाष भिका प्रजापति सचिव से राशि रुपये 14392/– एवं श्री अनिल महाजन सचिव से राशि रुपये 14392/– वसूली हेतु सर्व संबंधितो के विरुध्द म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 कि तहत प्रकरण पंजीबध्द करने का निवेदन किया गया। इस प्रतिवेदन दिनांक दिनांक 08.09.2017 के आधार पर न्यायालय में प्रकरण क्र./21/दिनांक 12.03.2018 दर्ज किया गया और दिनांक 19.09.2017 को अनावेदक श्री सुमेर सिंह सोंलकी उपयंत्री व्दारा अपने लिखित जवाब दिनांक 31.05.2018 में बताया है कि उसके व्दारा मेड बंधान एवं खेत तालाब का लेआउट डाला गया था, और उसमें मजदुरो व्दारा निर्माण कार्य किया गया था। निरीक्षण के दौरान ही उसे मजदुर कार्य करते मिले थे। मूल्याकंन अनुसार राशि भी मजदुरो के खातो में जमा की गई थी। उन कार्यो में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है।

2.

अनावेदक श्रीमती कमलाबाई तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत फोपनारकला व्दारा प्रस्तुत कर अवगत कराया गया की जेसीबी मशीन से कार्य नहीं कराया गया है मजदुरो से नि कार्य कराया गया है। हितग्राही व्दारा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य जो उनके खेत में मजदुर के माध्य से काराया गया है के अतिरिक्त शासन स्तर से अलग से स्वीकृत लागत राशि का अनुदान स्वंय के लिये चाहा जा रहा है। जो की अलग से योजना के प्रावधान अनुसार हितग्राही को नग भुगतान किया जाना संभव नहीं है। हितग्राही व्दारा व्देषवश शिकायत की गई जो निराधार है। शिकायतकर्ता शेख हमीद व्दारा प्रस्तुत शिकायत मेड बंधान, खेत तालाब, पशुशेड राशि कम प्रदाय का उल्लेख किया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही को नगद राशि प्रदाय नहीं की जाती है बल्कि कार्य नियोजित मजदुरो एवं सामग्री प्रदायकर्ता उपभोक्ता को सामग्री के बिल व्हाउचर्स के आधार पर किया जाता है जिसका भुगतान ग्राम पंचायत व्दारा मूल्याकंन अनुसार FTO के माध्यम से किया जाता है। हितग्राही व्दारा नगद भुगतान अनुदान के रुप में चाहा जा रहा है। इस आधार पर शिकायत नस्तीबध्द करने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक दिनांक 12.06.2018 को श्री मनोज भटकरे ग्राम रोजगार सहायक व्दारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया की जेसीबी मशीन से कार्य नहीं कराया है मजदुरो से निर्माण कार्य कराया गया है। हिग्रताही व्दारा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य जो उनके खेत में मजदुरी के माध्यम से कराया गया है के अतिरिक्त शासन स्तर से अलग से स्वीकृत लागत राशि का अनुदान स्वंय के लिये चाहा जा रहा है। जो कि अलग से योजना के प्रावधान अनुसार हितग्राही को नगद भुगतान किया जाना संभव नहीं है। हितग्राही व्दारा व्देषवश की गई है जो निराधार है। शिकायतकर्ता शेख हमीद व्दारा प्रस्तुत शिकायत मेड बंधान, खेत तालाब, पशुशेड राशि कम प्रदाय का उल्लेख किया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही को नगद राशि प्रदाय नहीं की जाती है बल्कि कार्य नियोजित मजदुरो एवं सामग्री प्रदायकर्ता उपभोक्ता को सामग्री के बिल व्हाउचर्स के आधार पर किया जाता है जिसका भुगतान ग्राम पंचायत व्दारा मूल्याकंन अनुसार FTO के माध्यम से किया जाता है। हितग्राही व्दारा नगद भुगतान अनुदान के रुप में चाहा जा रहा है। शिकायत को दुर्भावनावश एंव गलतफहमी से की जाना बताकर प्रकरण नस्तीबध्द करने का निवेदन किया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर ने अपने कथन दिनांक 06.07.2018 में बताया है की मैं जनपद पंचायत बुरहानपुर के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर के पद पर वर्ष 20 जुलाई 2017 से पदस्थ हूँ। ग्राम पंचायत फोपनार में मनरेगा कार्यो में अनियमितता के संबंध में धारा 92 के प्रकरण में जनपद पंचायत के पत्र क्र./1022/दिनांक 21.05.2018 के व्दारा मेने जो अभिमत भेजा है वह सही है एवं प्रकरण में तत्कालिन ग्राम रोजगार सहायक श्री मनोज भटकरे से 15900/– रुपये एवं तत्कालिन सरंपच/सचिव/उपयंत्री/ग्राम रोजगार सहायक प्रत्येक से 28785/– रुपये कुल राशि रुपये 115238 की वूसली की जाती है। क्योकि जांच प्रतिवेदन में खेत तालाब मेड बंधान आदि कार्य जेसीबी मशीन से किये जाना पाया गया है।

मेरे व्दारा प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन, दस्तावेजो, अनावेदकगणो के जवाब एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर के कथन का अवलोकन करने पर पाया जा है कि आवदेकगणो व्दारा मात्र शिकायत में उल्लेखित मेड बंधान एवं खेत तालाब निर्माण मजदुरो से किया जाना बताया गया है। उन्होने अपने इस तथ्य के समर्थन में कोई सत्यापित या मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अनावेदकगणो व्दारा किसी भी स्वंतत्र साक्षियो के कथन की अपने इस तथ्य के संबंध में नहीं कराए गए है कि कार्य मशीन से न किए जाकर मजदुरो से कराए गए है। इस के विपरीत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर व्दारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2017 के समर्थन में स्वंय कथनो से यह सिध्द किया है कि श्री भटकरे व्दारा पशुशेड निर्माण में 15900/– की राशि अवैध रुप से रखी गई है तथा सभी अनावेदकगणो व्दारा शेख हमीद की शिकायत में उल्लेखित मेड बंधान एवं खेत तालाब निर्माण कार्य कुल लागत 115138/– रुपये के कार्य मजदुरो से न कराकर जेसीबी मशीन से कराए गए है।

उक्त आधारो पर अनावेदक श्री सुभाष भटकरे तत्कालिन ग्राम रोजगार सहायक व्दारा राशि रुपये 15900/– एवं 28785/– कुल राशि 44685/– रुपये, तत्कालिन सरपंच श्रीमती कमला

बाई व्दारा 28785/- रुपये, तत्कालिन सचिव श्री सुभाष भिका प्रजापति एवं उपयंत्री श्री सुमेर सिंह सोंलकी व्दारा राशि 28785/- रुपये अनाधिकृत रुप से उपयोग की गई है, जो म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत फोपनार में श्री शेख हमीद के मेड बंधान, खेत तालाब एवं पशुशेड निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता किये जाने से श्री सुभाष भटकरे तत्कालिन ग्राम रोजगार सहायक व्दारा राशि रुपये 15900/- एवं 28785/- कुल राशि 44685/- रुपये, तत्कालिन सरपंच श्रीमती कमला बाई व्दारा 28785/- रुपये, तत्कालिन सचिव श्री सुभाष भिका प्रजापति एवं उपयंत्री श्री सुमेर सिंह सोंलकी व्दारा राशि 28785/- पर वसूली योग्य है। वसूली योग्य राशि सभी संबंधित आदेया जारी होने के 15 दिवस में ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करे। राशि जमा नहीं होने पर म.प्र. पंचायतरात ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत सिविल जेल वारंट जारी किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 31.07.2018 को जारी किया गया।
आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

31/7/18
शैलेन्द्र सिंह
(IAS)
विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

पृ.क्रं./64/जि.पं./न्याया.शा./2018 बुरहानपुर दिनांक 31.07.2018

प्रतिलिपिः-

1. जिला पंचायतराज अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ।

विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर